रामसुन्दर शर्मा विरूद्ध मिस्त्री बढ़ई आादि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 2556–दो/14

जिला – सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1·9·14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 2871–दो/12 में पारित आदेश दिनांक 16–6–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण की ओर से पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । (एम.के. सिंह) सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	noted 3/9/14

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक- /2014/पुनविलोकन रिव्यू 2556-II/14

रामसुन्दर शर्मा पुत्र श्री जानकीराम, निवासी-ग्राम कुकुडीझार (बहेरा खुर्द लोखडी टोला) तहसील गोपाद बनास जिला सीधी (म0प्र0)

----आवेदक

बनाम

1. मिस्त्री बढ़ई पुत्र श्री रामकिशोर बढ़ई, निवासी-जमुनिया तहसील गोपाद बनास जिला सीधी (म0प्र0)
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला सीधी (म0प्र0)

----अनावेदकगण

श्री एस. एल. चावडा Advocate द्वारा आज दि 12/8/14 को प्रस्तुत

12-8-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

S. L. Chawda Adv.
12/8/14

पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.06.2014 पारित न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण क्रमांक-2871/II/2013/निगरानी।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

1- यहकि, आवेदक आर्मी में सर्विस नम्बर-2647679 होकर नायक के पद पर की हैं। आवेदक का रिटायरमेन्ट

J.D RAJARAM Legal 464